

प्रपत्र-V

.इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर खण्डवा जिले के अन्तर्गत तहसील पुनासा में न्यायालय के विभिन्न अनुभागों के निर्माण हेतु ग्राम पुनासा में 0.35 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा को न्यूनतम 100 पौधे रोपित किये जाने की शर्त पर उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 19.11.2020

स्थान: भोपाल


(एच.एस.स.मोहंता)
सचिव
मध्यप्रदेश सी.सी.डी. विभाग
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)